# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

**पीठासीन अधिकारी :— सुरेश कुमार बलाई**

| प्रार्थना पत्र संख्या | दायर दिनांक | आदेश दिनांक |
|---|---|---|
| 51/2024 | 24.06.2024 | 07.07.2025 |

**बउनवान**

1. रामकुमारपुत्र श्री उमराव जाति अहीर निवासी करनीकोट तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

—: प्रार्थी

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला खैरथल—तिजारा राज0।

—: अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र — अन्तर्गत धारा 136**
**भू0 राजस्व अधिनियम 1956**

**श्री हंसराज यादव :— प्रार्थी अधिवक्ता**

**प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार निम्न प्रकार से है कि :—**

1. यह है कि आराजी ख० नं० हाल 1445/0.27 हैक0, 1446/0.27 हैक0, 1041/0.61 हैक0, 1042/0.59 हैक0, 1443/1.21 हैक0, 1447/0.01 हैक0, 1448/0.69 हैक0, 1149/0.04 हैक0, 1450/0.01 हैक0, 1451/0. 77 हैक0, 1492/0.54 हैक0, 178/0. 78 हैक0, 179/0.67 हैक0, 812/0. 50 हैक0, 813/0.52 हैक0, 969/0.58 हैक0, 1560/0.51 हैक0, 1563/0. 30 हैक0, 795/0.42 हैक0, 811/0.42 है40, 765/0.03 हैक0, 762/0.21 हैक0, 763/0.40 हैक0, 764/0.38 हैक०, वाके ग्राम करनीकोट तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है। जो प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी कहलायेगी। नकल जमाबन्दी हाल संलग्न प्रार्थना पत्र है।
2. यह है कि आराजी मुतनाजा प्रार्थी की खानदानी पैतृक आराजी है जो कि प्रार्थी को जरिये विरासत प्राप्त हुयी है, अपने आला मौरूसी के पदचिन्हों पर विरासत में प्राप्त आराजी पर हिस्सा मुताबिक जमाबन्दी मौके पर काबिज होकर काश्त कार्य करता आ रहा है। आराजी मुतनाजा के कब्जे काश्त बाबत आज दिनांक तक मौके पर कोई विवाद नहीं है।
3. यह है कि प्रार्थी का दस्तावेजी नाम रामकुमार है समस्त पहचान के दस्तावेजात मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, शिक्षा के दस्तावेज, पैन कार्ड, आदी सभी में रामकुमार दर्ज है लेकिन राजस्व रिकोर्ड में मिन प्रार्थी के नाम रामकुमार के स्थान पर अपभ्रंश नाम रामकुवार दर्ज हो रहा है। जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम दस्तावेज के अनुसार रामकुमार है।
4. यह है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकोर्ड में रामकुवार दर्ज रहने से प्रार्थी आराजी में प्राप्त समस्त अधिकारों केडिट कार्ड के ऋण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, विकय, विनिमय, हिब्बा आदी सुविधाओं के लाभ से वंचित रह रहा है। जबकि प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी के बाबत कोई विवाद नहीं है। प्रार्थी राजस्व रिकोर्ड एवं मौके के अनुसार रिकोर्डस खातेदार काबिज काश्तकार है उक्त इन्द्राज की जानकारी प्रार्थी द्वारा दिनांक 18/05/2024 को पटवारी हल्का से क्रेडिट कार्ड की फाईल तैयार कराने बाबत सम्पर्क किया तो पटवारी हल्का ने राजस्व रिकोर्ड एवं प्रार्थी के पहचान के दस्तावेजात का निरिक्षण करते हुये बताया कि आपको क्रेडिट कार्ड का ऋण नहीं मिल सकेगा क्योंकि राजस्व रिकोर्ड में दर्ज नाम व पहचान के दस्तावेजात में दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल—तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

नाम मेल नहीं खाते है राजस्व रिकोर्ड को दुरूस्त कराना होगा इसलिये प्रार्थी ने अप्रार्थी से सम्पर्क कर समस्या से अवगत कराया व राजस्व रिकोर्ड में अंकित प्रार्थी के नाम को शुद्वी पत्र के जरिये दुरुस्त किये जाने का निवेदन किया तो अप्रार्थी ने स्वंय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने व अदालत से आदेश कराने की बात कहते हुये प्रार्थी का नाम दुरूस्त करने से इंकार कर दिया इसलिये अदालत श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक आया है।

5. यह है कि उक्त विवादित आराजी में दर्ज गलत नाम को दुरूस्त करने बाबत प्रार्थी ने अप्रार्थी को कई बार मौखिक और लिखित निवेदन किया था लेकिन दिनांक 18/05/2024 को अप्रार्थी ने स्पष्ट मना कर दिया कि अदालत से आदेश लेकर आओ बस यही तारीख बिनायदावी व बिनाय मुखास्मत पैदा होकर प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद है।

6. यह है कि मिन प्रार्थी राजस्व रिकोर्ड में अपना नाम रामकुमार पुत्र श्री उमराव शुद्ध कराने के लिये प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। प्रार्थी किसी दीगर खातेदार का हक व हिस्सा नहीं लेना चाहता है। राजस्व रिकोर्ड में हो रहे गलत अंकन को शुद्वीपत्र के जरिये शुद्ध कराने के लिये आवेदन पेश करना लाजिमी आया है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि :-

- अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि उक्त आराजी ख० नं० हाल 1445/0.27 है, 1446/0.27 है, 1041/0.61 हैक, 1042/0.59 हैक0, 1443/1.21 हैक0, 1447/0.01 हैक0, 1448/0.69 है, 1149/0.04 है, 1450/0.01 हैक0, 1451/0.77 है, 1492/0. 54 है, 178/0.78 हैक0, 179/0.67 है0, 812/0.50 हैक0, 813/0.52 हैक0, 969/0. 58 हैक0, 1560/0.51 हैक0, 1563/0.30 हैक0, 795/0.42 है, 811/0.42 हैक0, 765/0.03 हैक0, 762/0.21 हैक0, 763/0.40 हैक0, 764/0.38 हैक, वाके ग्राम करनीकोट तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान के राजस्व रिकोर्ड में अंकित रामकुवार पुत्र उमराव के स्थान पर रामकुमार पुत्र श्री उमराव दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करे। श्रीमानजी की महति कृपा होगी।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थी की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई। अप्रार्थी ने जबाव प्रस्तुत किया गया। जो पत्रावली शामिल है।

प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के समर्थन में बहस के दौराने कथन कहे कि प्रार्थी का नाम विवादित आराजी के राजस्व रिकोर्ड में रामकुवार दर्ज है, जो गलत है। क्योकि प्रार्थी का दस्तावेजी सही नाम रामकुमार है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर रामकुवार के स्थान पर रामकुमार दर्ज किया जावें।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर विवेचन इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम रामकुवार ना रामकुमार है। इसलिए यह न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है।

**आदेश**

**उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में प्रार्थना पत्र को स्वीकर किया जाता है कि आराजी ख० नं० 1445/0.27 है, 1446/0.27 है0, 1041/0.61 है0, 1042/0.59 है0, 1443/1.21 है0, 1447/0.01 है0, 1448/0.69 है0, 1149/0.04 है0, 1450/0.01 हैक0, 1451/0.77 है0, 1492/0. 54 है0, 178/0.78 है0, 179/0.67 है0, 812/0.50 है0, 813/0.52 हैक0, 969/0.58 हैक0, 1560/0.51 हैक0, 1563/0.30 हैक0, 795/0.42 है, 811/0.42 हैक0, 765/0.03 हैक0, 762/0.21 हैक0, 763/0.40 हैक0, 764/0.38 हैक, वाके ग्राम करनीकोट तहसील मुण्डावर जिला खैरथल**

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

तिजारा राजस्थान में अंकित रामकुवार को कलमजन कर रामकुमार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 07.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

Scanned with OKEN Scanner